

an>

Title: Presentation of the 28th Report of the Committee on Subordinate Legislation on the Indian Foreign Services (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1961 framed under Article 309 of the constitution.

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाए गए भारतीय विदेश सेवा (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम, 1961 के बारे में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 28वां प्रतिवदेन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब अपनी जगह पर चले जाइए।

...(व्यवधान)